भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3099**

**08 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए नियत**

**"आकांक्षी जिलों में भारी उद्योगों की स्थापना"**

**3099. श्री विष्णु दयाल राम:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 112 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिह्नित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त जिलों, विशेषकर झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों में बेरोजगारी और पलायन एक बड़ी समस्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त समस्या का समाधान करने के लिए उक्त जिलों में भारी उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**भारी उद्योग राज्य मंत्री**

**(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)**

(क): जी, हां। नीति आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिले हैं।

(ख): नीति आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आकांक्षी जिलों के चयन के लिए समग्र सूचकांक में दिए गए 11 मानदंडों पर विचार किया गया है जो **अनुलग्नक** में हैं और जिनमें बेरोजगारी और पलायन का कोई उल्लेख नहीं है।

(ग): चूंकि उद्योग राज्य का विषय है, इसलिए भारी उद्योग मंत्रालय झारखंड सहित देश के किसी भी भाग में भारी उद्योगों की स्थापना का कार्य नहीं करता है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

**अनुलग्नक**

## आकांक्षी जिलों के चयन के लिए समग्र सूचकांक

| डेटाबेस | क्षेत्र | अधिमान |
|---|---|---|
| शारीरिक श्रम पर निर्भर भूमिहीन परिवार (सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना – वंचन 7) | वंचन | 25% |
| प्रसव-पूर्व देखभाल (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) | स्वास्थ्य और पोषण | 7.5% |
| सांस्थानिक प्रसव (एनएफएचएस -4) | | 7.5% |
| 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग (एनएफएचएस-4) | | 7.5% |
| 5 साल से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग (एनएफएचएस -4) | | 7.5% |
| शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर छोड़ने की दर (एकीकृत ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डाईस 2015-16) | शिक्षा | 7.5% |
| प्रतिकूल विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (यू-डाईस 2015-16) | | 7.5% |
| बिजली सुविधारहित परिवार (विद्युत मंत्रालय) | अवसंरचना | 7.5% |
| व्यक्तिगत शौचालय रहित परिवार (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय) | | 7.5% |
| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से असंबद्ध गांव (ग्रामीण विकास मंत्रालय) | | 7.5% |
| जल सुविधारहित ग्रामीण परिवार (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय) | | 7.5% |
| **कुल** | | **100%** |

(स्रोत: नीति आयोग)

***